भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/53/2015/एफ.सी. /1512 दिनॉक: 18-3-16

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : 765 के0वी0 सिंगल सर्किट गया वाराणसी ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद वाराणसी में काशी वन्य जीव प्रभाग को 0.128 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 15 बाधक वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग की 0.3072 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 10 बाधक वृक्षों के पातन तथा मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 39 बाधक वृक्षों के पातन कुल 0.4992 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 64 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 1747/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स/13455/2013, दिनांक– 04.12.2015 एवं पत्रांक–1948/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स/13455/2013, दिनांक– 10.03.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 1213/11सी– दिनांक– 04.12.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 30.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के0वी0 सिंगल सर्किट गया वाराणसी ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद वाराणसी में काशी वन्य जीव प्रभाग को 0.128 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 15 बाधक वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग की 0.3072 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 10 बाधक वृक्षों के पातन तथा मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 39 बाधक वृक्षों के पातन (कुल 0.4992 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 64 बाधक वृक्षों के पातन) की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित/पातन होने वाले 64 वृक्षों के दस गुने अर्थात 640 वृक्षों के वृक्षारोपण (काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के अन्तर्गत 150 वृक्ष, मिर्जापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 390 वृक्ष एवं वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण) एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

18/3/16

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर, उ0 प्र0।
6. उप महाप्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 लि0, पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली, सी–27/210ए, कैलगढ़ हाउस, जगतगंज, वाराणसी, उ0प्र0–221002
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

18/3/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)